विक्रमसिंह कारोला बनाम जिला रसद अधिकारी जालोर प्रकरण संख्या 2/2018

अपीलांट को सुनवाई हेतु एक अवसर ओर दिया लेकिन अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित।

प्रवर्तन अधिकारी ने कथन किया कि आवेदित सूचना प्रश्नोतरी से संबंधित जानकारी चाही गई थी। जो रसद कार्यालय के पत्रांक /रसद/ आरटीआई / 2017/3252 दिनांक 13.12. 2017 को संबंधित को भिजवा दी गई है।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में 3 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। जिसके प्रत्युतर राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को सूचित किया गया कि वितरण संबधित समस्त रिपोर्ट विभागीय पोर्टल food.raj.nic-in पर आन लाईन देखी जा सकती है। अपीलांट का दायित्व था कि आवेदित सूचना के संबध में विभागीय पोर्टल food.raj.nic-in पर आन लाईन देख सकता था। परंतु अपीलांट द्वारा उक्त सूचना आनलाईन नहीं देख कर सीधे ही अपील प्रस्तुत की है।

फिर भी न्यायहित में राज्य लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी जालोर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना जो विभागीय पोर्टल पर संधारित है। उसकी प्रति अपीलांट को 15 दिवस की अवधि में निशुल्कः उपलब्ध करवा दी जावे। अगर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो उसके संबंध में विस्तृत तथ्यो का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपीलांट को सूचित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी जालोर) को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

sd—